

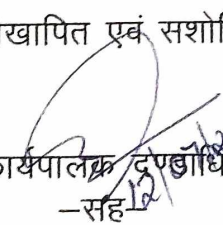
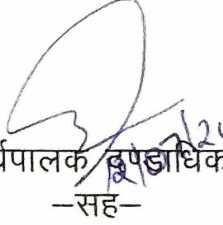
न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

आदेश पत्रक

जिला - गुमला

वाद सं०- 37 / 2019-20

केस का प्रकार - नीलाम पत्र

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की दिप्पणी एवं तारीख
	बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर बनाम अध्यक्ष, हीरा स्वयं सहायता दल विपक्षी अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर शाखा से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम-पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें अध्यक्ष, हीरा स्वयं सहायता दल ग्राम-टुठाटोली, पोस्ट- चैनपुर, थाना- चैनपुर, जिला- गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि 835206.00 रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया था। बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर के द्वारा दिया गया अदेय प्रमाण पत्र के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अतः वाद की कार्यावाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं सशोधित  कार्यपालक/दण्डाधिकारी -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।  कार्यपालक/दण्डाधिकारी -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।	